Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 21-02-2006

Participants : Lalu Prasad Shri

Title : Statement regarding the bomb blasts at Platform No. 2 of Ahmedabad Railway Station on 19.02.2006.

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुःखी ह्रदय से सदन को सूचित कर रहा हूं कि दिनांक 19.2.2006 को गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 पर सुबह लगभग 01 बजकर 43 मिनट पर भीाण बम विस्फोट की घटना हुई है।

यह बम विस्फोट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 पर एसटीडी/पीसीओ बूथ के पास हुआ जिसके परिणामस्वरूप 25 व्यक्ति घायल हो गए। इनमें से 15 घायलों को तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में ले जाया गया और 10 घायलों को स्टेशन पर प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया। अस्पतालों में भर्ती किए गए 15 व्यक्तियों में से 12 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उनका उपचार चल रहा है। मामूली रूप से घायल सभी व्यक्तियों को 500 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

यह बम विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि प्लेटफार्म की एस्बैस्टस छत के टुकड़े इधर-उधर फैल गए और निकटवर्ती एसटीडी बूथ और चाय के स्टॉल को भारी नुकसान हुआ। इस विस्फोट से मुख्य प्रवेश द्वार और प्लेटफार्म नं.1 के कई कमरों पर लगे शीशे टूट कर इधर-उधर बिखर MÉA[R1]। रेलवे सम्पति को अनुमानतः दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि गाड़ी संख्या 4708 बांद्रा टर्मिनल-बीकानेर रनकपुर एक्सप्रेस बम विस्फोट की घटना के थोड़े समय पहले ही अहमदाबाद स्टेशन से गई थी तथा गाड़ी संख्या 9031 मुम्बई सैंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट के पश्चात् स्टेशन पहुंचने वाली थी। सौभाग्यवश कोई गाड़ी बम विस्फोट के समय स्टेशन परिसर में नहीं खड़ी थी अन्यथा जान-माल की भारी हानि हो सकती थी। घटना के समय प्लेटफार्म नम्बर 2 पर जीआरपी के तीन तथा रेल सुरक्षा बल के दो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।

विस्फोट की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय पुलिस तथा रेलवे पदाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मिलजुल कर राहत तथा बचाव कार्यों का संचालन किया। पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने भली--भांति जांच के लिए स्टेशन को अपनी निगरानी में ले लिया और गाड़ी परिचालन को तुरंत रद्द कर दिया गया।

*** (Placed in Library, See No. LT 3689/2005)**

प्लेटफार्म नं. 2 पर 01 बजकर 45 मिनट से 04 बजकर 25 मिनट तक गाड़ी परिचालन पूरी तरह बंद रहा। इस घटना के कारण निम्नलिखित गाड़ियों को नियंत्रित करके विलंब से चलाना पड़ा :

1. गाड़ी संख्या 9031 मुम्बई सैंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रेस (अप)

2. गाड़ी संख्या 9032 मुम्बई सैंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रेस (डाउन)

3. गाड़ी संख्या 9017 बांद्रा टर्मिनल-जामनगर सौराट्र जनता एक्सप्रेस

4. गाड़ी संख्या 4847 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस

5. गाड़ी संख्या 9116 बांद्रा टर्मिनल-भुज शायाजी नगरी एक्सप्रेस

6. गाड़ी संख्या 2934 मुम्बई सैंट्रल-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस

7. गाड़ी संख्या 239 डाउन बोरीवली-अहमदाबाद पैसेन्जर

8. गाड़ी संख्या 716 अहमदाबाद-बड़ौदा मेमू

अनुसंधान के लिए यथोचित कार्यवाही के पश्चात् गाड़ी परिचालन बहाल कर दिया गया।

पुलिस निरीक्षक/ राजकीय रेलवे पुलिस अहमदाबाद ने आईपीसी की धारा 324, 427, 120(बी), 307 और लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसका सीआर नं. 52/ 06 दिनांक 19.2.2006 है और आगे जांच के लिए अहमदाबाद की नगर अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विस्फोट की भीणता को देखते हुए विस्फोट में आरडीएक्स के प्रयोग की पूर्ण सम्भावना है।

राजकीय रेल पुलिस अधिकारियों के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गयी है। राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा स्टेशन की चौबीसों घंटे संयुक्त गश्त लगाई जा रही है। अतिरिक्त खोजी कुत्ते सेवा में लगाए गए हैं। राज्य रिजर्व पुलिस व रेलवे सुरक्षा विशेा बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को अहमदाबाद रेल वे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति व रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतू तत्काल प्रभाव से तैनात किया गया है। राज्य सरकार को भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने हेतू अनुरोध किया गया है।

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Thank you.

MR. SPEAKER: Since it was properly raised, a proper response has come.